Volume-6, No. 2 Aug.-2019, pp. Hin.53-60

भारतीय पुलिस अभिरक्षा में मानवाधिकारों के हनन को रोकने हेतु किये गयेप्रयासः एक विश्लेषण

श्री रवि कुमार पोसवाल, शोध छात्र
राजनीति विज्ञान विभाग,
चौ. चरण सिह विश्वविद्यालय, मेरठ उत्तर प्रदेश भारत।

अधिकार वे सामाजिक दावे है जो कि व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास में मदद करते हैं। अधिकारों का जन्म समाज में होता है और समाज के सदस्य होने के नाते व्यक्तित्व का विकास करना है। राज्य वह वातावरण पैदा करता है, जिसमें व्यक्ति अपने अधिकर का उपयोग सुलभता से कर पाता है। बोसांके कहते है ''अधिकार एक दावा है जोकि समाज द्वारा मान्य और राज्य द्वारा लागू किये जाते है। हाबँहाऊस ने अधिकारों को परिभाषित करते हुए कहा है कि अधिकार वे है जो कि हमें अन्यों से और अन्य हमसे अपेक्षा करते हैं और सभी जायज अधिकार सामाजिक कल्याण की दशाऐं है अतः आंशिक तौर पर अधिकार वे दावे है जो कि उन कार्यों को पूरा करने के लिए अनिवार्य है जो कि समाज से अपेक्षा करता है अधिकार व्यक्ति की सामाजिक जिम्मेदारियों से जुड़े हुए है। गिलक्रिस्ट ने कहा है कि अधिकारों का उद्गम समाज के सदस्य के रूप में व्यक्ति से होता है और इस मान्यता से होता है कि समाज के लिए एक अन्ततः भलाई है जिसकी प्राप्ति प्रत्येक व्यक्ति में निहित शक्तियों के विकास से हो सकती है।

मुख्य शब्द– मानवाधिकार, अभिरक्षा, पीडित, न्याय, प्रत्यर्पण।

मानवाधिकार मे अधिकार है जो कि हमारी प्रकृति में निहित है और जिनके बिना हम मानव प्राणी के रूप में नहीं रह सकते। वे अनिवार्य है क्योंकि वे हमारी मानवीय क्षमता, प्रतिभा, बौद्धिक्ता के विकास और उपयोग में और हमारी आध्यात्मिक व अन्य आवश्यक्ताओं की पूर्ति में सहयोग करते है। मानवाधिकारों का आधार मनुष्य की जीवन से सम्बन्धित बढ़ती हुई उस मांग से है जिसमें प्रत्येक मनुष्य में निहित गरिमा और उसके महत्व का सम्मान और परीक्षण हो। प्राचीन भारत में वेद, पुराण, भगवद्–गीता मानवाधिकारों के लिए आधार प्रदान करते है। प्राचीन भारत में ''वसुधैव कुटुम्बकम्'' और ''सबका कल्याण हो'' जैसे वाक्य मानवाधिकार की अवधारणा को प्रदर्शित करते है। परंतु सामान्यतः यह माना जाता है कि मानवाधिकार की अवधारणा का उद्गम पश्चिम में हुआ। भारतीय चिंतक कौटिल्य भी आर्थिक अधिकारों के साथ–साथ नागरिक व कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करते है। कौटिल्य के अनुसार 'राजा अनाथ, बूढ़े व बेसहारा लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगा तथा साथ ही उन माताओं व उनके बच्चों को भी जीवनयापन हेतु सहायता प्रदान करेगा, जो असहाय है, कुछ दार्शनिकों के लिए यह राज्य और राजा के कर्तव्य है। पर साथ इस कर्तव्य मत में मानवाधिकारों की झलक भी नजर आती है।

1215 का मैग्नाकार्टा, 1628 का अधिकारों की पत्रिका, 1880 के अधिकारों के घोषणा पत्र और 1971 के अमेरिका के अधिकारों के घोषणा पत्र और 1789 के फ्रेंच मानवाधिकारों के घोषणा पत्र को अधिकारों को विस्तृत रूप प्रदान करने व सुरक्षा प्रदा करने वाले प्रशासनिक दस्तावेज की तरह लिया गया। परंतु मानवाधिकारों की अवधारणा को पुष्ट करने में सबसे महत्वपूर्ण कदम तब उठाया गया। जब संयुक्त राष्ट्र द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र पास किया गया, परन्तु यह कानून द्वारा स्थापित दस्तावेज नहीं था अतः 1966 में नागरिक व राजनीतिक अधिकारों तथा सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए गए जिन्हें 1976 में लागू किया गया। भारत में इन दोनों समझौतों अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए गए, जिन्हें 1976 में लागू किया गया। भारत में इन दोनों समझौतों पर अपने हस्ताक्षर किए है। संयुक्त राष्ट्र ने पांच

प्रमुख विधायी दस्तावेज बने, जिनमें मानवाधिकारों की परिभाषा करके उनकी गारंटी दी गई है। ये ही मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र (1966), नागरिक व राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र (1966) और बाद वाले प्रतिज्ञा पत्र में संबद्ध दो परिचालक, यानी ऑपरेशनल समझौते (प्रोटोकोल) यह घोषणा पत्र मूल रूप से नैतिक अधिकार पत्र है। ये प्रतिज्ञा पत्र भी ऐसी संधिया हैं, जो उन देशों के लिए अनिवार्य है, जिन्होंने इनका अनुमोदन किया है मानवाधिकरों पर अंतर्राष्ट्रीय विधेयक इन जब दो मिलाकर संयुक्त दस्तावेज बना।

राष्ट्रीय मानवधिकार आयोग

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किए जाने वाले मानवाधिकार संबंधी अभिसमयकों, प्रसंविदाओं के सम्यक पालन हेतु तथा संबंधित उत्तरदायित्वों के सम्यक् निर्वहन हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर, 1993 को संसद के एक अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के द्वारा हुआ था। इस अधिनियम को अधिनियमित करने का कारण 'मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण एवं संवर्द्धन' था। यह एक ऐसा संस्थान है जो न्यायपालिका का अनुपूरक है और देश में लोगों के सांविधिक रूप से निहित मानव अधिकारों की रक्षा एवं संवर्द्धन में लगा हुआ है।

अधिनियम के अनुसार 'मानव अधिकार' का अर्थ है 'संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक संविदाओं में सन्निहित और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति विशेष की गरिमा संबंधी अधिकार'। "अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक संविदाओं" का अर्थ है सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक संविदाएं आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृंतिक अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक संविदाएं; महिलाओं के प्रति होने वाले हर प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन संबंधी अभिसमय; बच्चों के अधिकार संबंधी अभिसमय और हर प्रकार के नृजातीय भेदभाव का उन्मूंलन संबंधी अभिसमय। भारत सरकार ने वर्ष 1979 में सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक संविदा और आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक संविदा को स्वीकार किया था। भारत सरकार ने वर्ष 1993 में महिलाओं के प्रति होने वाले हर प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन संबंधी अभिसमय, वर्ष 1991 में बच्चों के अधिकार संबंधी अभिसमय और वर्ष 1968 में हर प्रकार के नृजातीय भेदभाव का उन्मूमलन संबंधी अभिसमय की अभिपुष्टि की। यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि भारतीय संविधान उन सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखता है जिनका उल्लेख उपरोक्त संविदाओं में किया गया है। सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक संविदा और आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृंतिक अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक संविदा में उल्लिखित कई अधिकार भारतीय नागरिकों को उसी समय उपलब्ध हो गए थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था क्योंकि यह अधिकार प्रमुख रुप से संविधान के भाग 3 और भाग 4 में मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जैसे शीर्ष के तहत दिए गए हैं। अपने अस्तित्व से लेकर अब तक भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अनुभव ने यह दर्शाया है कि इसकी संरचना, नियुक्ति प्रक्रिया, अन्वेषण संबंधी शक्तियां, कार्यों का व्यापक विस्तार तथा विशेषज्ञ प्रभाग एवं स्टॉफ से संबंधित स्वतंत्रता और मजबूती, सांविधिक अपेक्षताओं द्वारा गारंटीकृत हैं। आयोग में एक अध्यक्ष, चार पूर्ण कालिक सदस्य तथा चार मनोनीत सदस्य हैं। संविधि में आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति के लिए अहर्ताएं निर्धारित की गई हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा अध्यक्ष, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के प्रभारी मंत्री, लोकसभा तथा राज्य सभा में विपक्ष के नेता तथा राज्य सभा के उपसभापति से गठित एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

शिकायतों की संख्या और प्रकृति मानव अधिकार साक्षरता देश में निरंतर बढ़ती जा रही है। मानव अधिकारों की पहुंच प्रासंगिक रूप से कानूनों के साथ–साथ न्यायिक कथनों के माध्यम से भी विस्तृत हुई है जिससे मानव अधिकारों की परिधि में अधिक अधिकार एवं मानव अधिकारों के नए पहलू सामने आए हैं। फोर्थ जनरेशन मानव अधिकारों के विषय में व्यापक चर्चा एवं विमर्श मौजूद है। आमलोग मानव अधिकारों के संरक्षण के कार्य के लिए स्वेच्छा से आगे आ रहे हैं तथा अनेक स्वयंसेवक एवं गैर–सरकारी संगठन मानव अधिकारों की सुरक्षा हेतु बड़ी संख्या में कार्य कर रहे हैं। परिणामस्वरूप, मानव अधिकार उल्लंघन

की शिकायतों की संख्या में बढ़ोतरी होनी ही थी। अब राज्य मानव अधिकार आयोग भी इस प्रकार की शिकायतों का बड़ी संख्या में समाधान कर रहे हैं तथा सिविल प्राधिकारियों के बीच दिन–ब–दिन मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता एवं सम्मान में बढ़ोतरी हो रही है। इन तथ्यों के कारण आयोग में अभिकथित मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायतों में थोड़ी कमी आई है जहां वर्ष 2015–16 में आयोग द्वारा 1,17,808 मामले दर्ज किए गए थे वहीं वर्ष 2016–17 में 91,887 मामले दर्ज किए गए। आयोग को प्राप्त होने वाली शिकायतों में लोकसेवकों द्वारा लापरवाही के कारण अभिकथित मानव अधिकार उल्लंघन तथा इस प्रकार के उल्लंघन से बचाव करने में लापरवाही, हिरासतीय हिंसा, यातना, फर्जी मुठभेड़, पुलिस की बर्बरता, सुरक्षा बलों द्वारा किए गए हनन जेलों से संबंधित स्थिति, महिलाओं एवं बच्चों तथा अन्य कमजोर वर्गों पर किए गए अत्याचार, सांप्रदायिक हिंसा, बंधुआ एवं बाल मजदूरी, सेवानिवृत्ति के लाभों का भुगतान नहीं करना, सरकारी प्राधिकारियों द्वारा की गई लापरवाही तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार आदि के आरोप वाले मामले शामिल थे। आयोग ने इसके अतिरिक्त पुलिस मुठभेड़ एवं पुलिस हिरासत, न्यायिक हिरासत तथा रक्षा/अर्द्धसैनिक बलों की हिरासत में हुई मौतों के संबंध में प्राप्त सूचनाओं का संज्ञन लिया। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर कई घटनाओं का स्वतः संज्ञान लिया गया, जिनमें वे मामले भी शामिल थे, जो देश के विभिन्न भागों में दौरे के दौरान अध्यक्ष, सदस्यों, विशेष प्रतिवेदकों तथा वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी में आए।

पंजीकृत मामलों की संख्या दर्शाने वाली तालिका (दिनांक 03/10/2017 तक सी.एम.एस. डाटा के अनुसार)

वित्त वर्ष	2012 – 2013	2013 – 2014	2014 – 2015	2015 – 2016	2016 – 2017
पुलिस मुठभेड़ में मौत (घटना कोड 812)	168	137	188	179	169
हिरासतीय मौत (न्यायिक) (सूचना) (घटना कोड 301)	1557	1577	1588	1668	1616
हिरासतीय मौत (पुलिस) (सूचना) (घटना कोड 807)	143	140	130	151	145

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत सरकार वार्षिक रिपोर्ट 2016–17

हिरासतीय हिंसा की रोकथाम

आयोग को वर्ष 2016–17 के दौरान न्यायिक हिरासत में मौत से संबंधित 1,616 सूचनाएं तथा पुलिस हिरासत में मौत/बलात्कार की 146 सूचनाएं प्राप्त हुई। समीक्षाधीन अवधि के दौरान अर्द्धसैन्य बल/रक्षा बल की हिरासत में मौत की एक सूचना प्राप्त हुई। आयोग ने हिरासतीय मौत के 2,194 मामले निपटाए। इन 2,194 मामलों में से न्यायिक हिरासत में मौत के 1,974 मामले, पुलिस हिरासत में मौत/बलात्कार के 220 मामले तथा अर्द्धसैनिक बलों की हिरासत में मौत के एक मामले का निपटान किया।

आयोग को वर्ष 2016–17 के दौरान न्यायिक हिरासत में मौत से संबंधित 1,616 सूचनाएं तथा पुलिस हिरासत में मौत/बलात्कार की 146 सूचनाएं प्राप्त हुई। समीक्षाधीन अवधि के दौरान अर्द्धसैन्य बल/रक्षा बल की हिरासत में मौत की एक सूचना प्राप्त हुई। आयोग ने हिरासतीय मौत के 2,194 मामले निपटाए। इन 2,194 मामलों में से न्यायिक हिरासत में मौत के 1,974 मामले, पुलिस हिरासत में मौत/बलात्कार के 220 मामले तथा अर्द्धसैनिक बलों की हिरासत में मौत के एक मामले का निपटान किया। इन आंकड़ों में पिछले वर्षों के मामले भी शामिल हैं।

→पुलिस थाना केन्द्रीय फरीदाबाद हरियाणा की हिरासत में दिनांक 18.08.2015 को अभियुक्त मदन (23 वर्षीय) की मौत (मामला संख्या 7030/7/3/2015–पी.सी.डी.)

→ केन्द्रीय जेल, कोटा, राजस्थान में न्यायिक हिरासत में राजू उर्फ राजेन्द्र नामक एक विचाराधीन कैदी की मौत (मामला संख्या 922/20/21/2013–जे.सी.डी.)

→ भोनगीर, आंध्रप्रदेश की उप–जेल में न्यायिक हिरासत में विचाराधीन कैदी की मौत (मामला सं० 403/1/14/09–10 जेसीडी)

→ समय पर उचित चिकित्सा देख–रेख नहीं मिलने के कारण केन्द्रीय जेल संख्या 1, तिहाड़, नई दिल्ली में एक विचाराधीन कैदी की मौत (मामला संख्या 2632/30/1/2012–जे.सी.डी.)

विधिविरुद्ध गिरफ्तारी, गैर–कानूनी नजरबंदी तथा प्रताड़ना

→मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के थाना हरिहरपारा द्वारा सफ़ीयुज्ज़मान सरकार नामक व्यक्ति की गैरकानूनी नज़रबंदी तथा पैसे की जबरन वसूली (मामला संख्या 1066/25/13/2014)

→पुलिस स्टेशन में 8 दिनों तक शिकायतकर्त्ता के पुत्र राजीव उर्फ गुड्डू निवासी गांव यकाबगढ़ी, धनौरा पुलिस स्टेशन, ज्योतिबा फुले नगर, उत्तर प्रदेश की अवैध नज़रबंदी तथा प्रताड़ना (मामला संख्या 12111/24/41/2012)

मानवाधिकार आज विश्वभर में सबसे ज्यादा चर्चित विषय है। दुनियाभर में इस पर सम्मेलन हो रहे है, सेमिनार आयोजित किए जा रहे है। हालांकि पुलिस का काम है लोगों के अधिकारों की रक्षा करना लेकिन कई बार पुलिस तथा अन्य सुरक्षा बलों पर ही लोगों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लग जाता है और ये आरोप गलत भी नहीं होते हैं। आज दुनियाभर में पुलिस बलों के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लघन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे है। यहाँ हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि पुलिसबलों का काम ही कुछ ऐसा है कि उन्हें जनहित में अक्सर ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिनसे अपराधियों के तथाकथित मानवाधिकारों का उल्लंघन हो जाता है।

समय के साथ–साथ मानवाधिकारों का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलनों आदि में इस पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। वर्तमान में कुछ नए अधिकार भी मानवाधिकारों की सूची में सम्मिलित हो गए हैं जैसे पर्यावरण सुरक्षा का अधिकार, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार का भी मानवाधिकार माना जाने लगा है। वर्तमान में माना जाता है कि पुलिस के खिलाफ अपराधियों के भी कुछ मानवाधिकार होते है। दुनियाभर में मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन् 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की। इस घोषणा के निम्नलिखित 3 प्रमुख बिन्दु हैं:

1. मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, प्रत्येक मानव को मानवाधिकार सुनिश्चित करने की घोषणा है।
2. राष्ट्रों की सीमाओं से परे, समस्त मानव समुदाय के लिए घोषणा जारी की गयी है।
3. यह घोषणा मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता को घोषित करती है।

इस घोषणा में कहा गया है कि मानव परिवार के सभी सदस्यों की जन्मजात गरिमा और सम्मान के अधिकार की स्वीकृति ही विश्व में शांति न्याय और आजादी का बुनियाद है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वे संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से मानवाधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रताओं के प्रति सार्वभौमिक सम्मान और पालन को प्राप्त करेंगे। घोषणा के अनुच्छेद–1 में कहा गया है कि सभी मानव प्राणी गरिमा और अधिकारों की दृष्टि से स्वतंत्र और समान जन्में हैं, उन्हें बुद्धि और अतरात्मा की देन प्राप्त है और उन्हें परम्परा भाईचारे के भाव से कार्य करना चाहिए। अनुच्छेद–2 में कहा गया है कि सभी को इस घोषणा में निहित सभी अधिकारों व स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने का हक है और इस मामले में जाति, वर्ग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, संपत्ति या अन्य प्रकार की मार्यादा के कारण भेदभाव का विचार नही किया जायेगा। इस घोषणा में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति की जीवन, स्वाधीनता और वैयक्तिक सुरक्षा का अधिकार है।

संयुक्त राष्ट्र अभिसभय

संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा 10 दिसंबर, 1984 को एक अभिसभय की स्वीकृति दी गयी। इस अभिसभय को, यातना और अन्य क्रूर अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार तथा दंड के विरूद्व अभिसभय कहा गया है और यह 26 जून 1987 से दुनियाभर में लागू हो गया। इस अभिमय में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अधिकार पत्र में उद्घोषित सिद्वांतो के मुताबित, मानव परिवार के सभी सदस्यों के समान अधिकारों की स्वीकृति विश्व में आजादी, न्याय और शांति का आधार–स्तंभ है। इस अभिसभय के प्रमुख अनुच्छेद निम्नलिखित है :

भाग–1 अनुच्छेद–1

1. इस अभिसभय के संदर्भ में ''यातना'' शब्द का मतलब ऐसा कोई भी कृत्य है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को–उससे या किसी अन्य व्यक्ति से जानकारी या कोई इकबालिया बयान प्राप्त करने, या उस व्यक्ति पर जो कार्य करने का संदेह हो, उसके लिए उस व्यक्ति को अथवा अन्य व्यक्ति को आतंरिक करने या उस व्यक्ति पर नाजायज दबाव डालने–जैसे प्रयोजनों से या किसी भी प्रकार के विभेद पर आधारित कारणों से जान–बुझ कर गहरी शारीरिक या मानसिक पीड़ा अथवा कष्ट पहुंचाया गया हो, और ऐसी पीड़ा या कष्ट किसी सरकारी अधिकारी या सरकारी हैसियत से काम करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या उसके उकसाने पर या सहमति से अथवा मूक–सर्मथक से पहुंचाया गया हो।

अनुच्छेद–2

1. इस अभिसभय का प्रत्येक पक्षकार राज्य अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी प्रदेशों में यातना

की कार्रवाइयों को रोकने के लिए प्रभावकारी वैधानिक, प्रशासनिक, न्यायिक या अन्य कदम उठाएगा।

2. किसी भी प्रकार की असाधारण परिस्थिति के न होने पर यातना औचित्य नहीं सिद्ध किया जाएगा–चाहे वह युद्ध की परिस्थिति हो या युद्ध के खतरे की, आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता की परिस्थिति हो या किसी अन्य सार्वजनिक आपात स्थिति की।

अनुच्छेद–3

1. इस अभिसभय का कोई भी पक्षकार राज्य किसी व्यक्ति को उस हालत में निष्कासित नहीं करेगा, न किसी दूसरे राज्य को लौटाएगा या प्रत्यार्पित करेगा जब ऐसा माने का ठोस कारण हो कि ऐसा करने से उस व्यक्ति के यातना का शिकार हो जाने की आशंका है।

अनुच्छेद–9

1. इस अभिसभय का प्रत्येक प्रक्षकार राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि यातना की सभी कार्रवाईयां फौजदारी कानून के अधीन अपराध मानी जाएं। यही बात यातना देने के प्रयत्न या किसी व्यक्ति द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई पर भी लागू होगी जिसका मतलब यातना देने में मिली–भगत या शिकरत हो।

2. इस अभिसभय का प्रत्येक पक्षकार राज्य ऐसे अपराधों के लिए ऐसे उपयुक्त दंडों का विधान करेगा जो उनकी गंभीरता के अनुरूप हो।

अनुच्छेद–10

1. इस अभिसभय का प्रत्येक पक्षकार राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानून पर अमल कराने वाले सिविल और सैनिक दोनों वर्गो के कार्मियों, सरकारी अधिकारियों और गिरफ्तारी, नजरबंद या कैद किए गए व्यक्ति को हिरासत में रखनें उससे पूछताछ करने या उससे किसी प्रकार से व्यवहार रखने वाले अन्य लोगों के प्रशिक्षण में यातना के विरूद्व निशेध से संबधित शिक्षा और जानकारी का पूरा–पूरा समावेश हो।

2. इस अभिसभय का प्रत्येक पक्षकार राज्य इस तरह के हर व्यक्ति के कर्तव्यों और दायित्वों के संबध में जारी किए गए नियमों या निर्देशों में इस निशेध का समावेश करेगा।

अनुच्छेद–11

1. इस अभिसभय का प्रत्येक पक्षकार राज्य यातना के हर प्रसंग को रोकने के उद्वेश्य से अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले हर प्रदेश में किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी, नजरबंदी या कैद में रखे गए व्यक्तियों से पुछताछ के नियमों, निर्देशों, तरीकों और रीतियों तथा साथ ही उनकी हिरासत और उनके साथ किए जाने वाले व्यवहार संबंधी प्रबंधो की व्यवस्थित रीति से समीक्षा करता रहेगा यह बेहद महत्तवपूर्ण अनुच्छेद है।

अनुच्छेद–12

1. इस अभिसभय का प्रत्येक पक्षकार राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि जहां कहीं ऐसा माने का उचित आधार दिखाई देगा कि उसके क्षेत्राधिकार में शामिल किसी भी प्रदेश में यातना देने की घटना हुई है वहां उसके समक्ष अधिकारी तत्परता और निष्पक्षता से जांच–पड़ताल करेगें। अभियुक्तों को संरक्षण प्रदान करने में यह अनुच्छेद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

अनुच्छेद–13

1. इस अभिसभय का प्रत्येक पक्षकार राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि उसके क्षेत्राधिकार में शामिल प्रत्येक प्रदेश में ऐसे हर व्यक्ति को, जिसका आरोप है कि उसे यातना दी गई है, यह अधिकार होगा कि वह सक्षम अधिकारी उस मामले की तत्परता और निष्पक्षता से जाचं करेगें। यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी उपाए किए जाएंगे कि इस तरह की शिकायत करने वाले और गवाहों के साथ इस कारण से कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा और न उन्हें धमकाया जाएगा कि उसने शिकायत की या गवाहों ने गवाही दीं।

अनुच्छेद–14

1. इस अभिसभय का प्रत्येक पक्षकार राज्य अपनी विधि प्रणाली में ऐसी व्यवस्था करेगा कि यातना से पीड़ित व्यक्ति को राहत मिले और उसे उचित तथा पर्याप्त क्षतिपूर्ति का प्रवर्तनीय अधिकार हो। इस क्षति पूर्ति में यथासंभव अधिक से अधिक पूर्ण पुनर्वास का भी समावेश होगा। यदि यातना के फलस्वरूप उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके आश्रितों को क्षतिपूर्ति का अधिकार होगा।

2. इस अनुच्छेद की किसी भी व्यवस्था का यातना–पीड़ित या अन्य लोगों के क्षतिपूर्ति के ऐसे अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो राष्ट्रीय कानून के अधीन उन्हें पहले से ही प्राप्त हो।

पुलिस ही वह संस्था है जिससे पीडित व्यक्ति प्रायः सबसे पहले संपर्क में आता है। मानवाधिकारों के इस दौर में पीड़ित व्यक्ति के भी कई अधिकार सुनिश्चित है। पुलिसकर्मियों को इन अधिकारों को जान लेना आवश्यक है। यह आवश्यक है कि पीड़ित अधिकारों का पुलिस सम्मान करें।

(1) पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के लिये यह अनिवार्य है कि वह प्रत्येक संज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करे। धारा 154 सी.आर.पी.सी. के द्वारा यह प्रावधान प्रतिबंधात्मक बनाया गया है। यदि पीड़ित व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है तो इसी धारा की उपधारा (3) के अनुसार पीड़ित व्यक्ति की यह रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को दे सकता है। आजकल सभी राज्यों में पीड़ित व्यक्ति के इस अधिकार के हनन को गंभीरता से लिया जाता है और थाना प्रभारी की दुर्भावना प्रमाणित होने पर गंभीर दंड दिये जाते हैं। उदाहरण है लिए राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम 5.2 (2) में थाना प्रभारी द्वारा निःशुल्क रिपोर्ट दर्ज करने की घोषणा थाने के बाहर प्रदर्शित करने का आदेश दिया गया है, ताकि पीड़ित व्यक्ति के इस अधिकार का उसे ज्ञान हो सके।

धारा 155 सी.आर.पी.सी. के अनुसार असंज्ञेय मामले में इत्तिला देने वाले को थाना प्रभारी द्वारा मजिस्ट्रेट के पास जाने को निर्देशित किया जायेगा। हालांकि इस उपबंध को बड़ी आसानी से लिख दिया गया है, परन्तु व्यवहार में इसने पुलिस संगठन के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी कर दी है। कानून से अनजान एक व्यक्ति थाने में आता है और रिपोर्ट दर्ज कराता है। उसे उम्मीद है कि पुलिस तुरन्त मौके पर जाएगी और समस्या को हल कर देगी। पुलिस थाने के मुंशी ने पाया कि रिपोर्ट असंज्ञेय है और पुलिस इनमें कार्यवाही नहीं कर सकती है, इसलिए कार्यवाही बंद कर दी जाती है। ऐसी हालत में प्रार्थी यह सोचता है कि पुलिस कार्यवाही में कोताही कर रही है या दूसरी पार्टी से मिल गई है।

अपराध और शक्ति–दुरूपयोग के पीड़ितो को न्याय हेतु घोषणापत्र

सन् 1985 में संयुक्त राष्ट्र की सतवीं कांग्रेस का आयोजन ''अपराधों की रोकथाम व अपराधियों से व्यवहार'' विषय पर हुआ। इसके आधार पर उपर्युक्त घोषणा संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 29 नवंबर, 1985 को की गई। इसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैंः

धारा–1 'पीड़ित' से अर्थ है कि वह व्यक्ति जिसके साथ व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से शारीरिक या मानसिक क्षति, भावनात्मक पीड़ा आर्थिक हानि या मूल अधिकारों का वंचन, किसी कार्य या कार्यलोप से पारित किये गये हैं।

धारा–3इस घोषणा में शामिल प्रावधान सभी पर लागू होंगे, बिना किसी भेदभाव के, जो प्रजाति, रंग लिंग, आयु, भाषा, धर्म, राष्ट्रीय राजनैतिक मत, सांस्कृतिक विश्वास, जन्म परिवार, जन्म परिवार, सामाजिक मूल के आधार पर हों।

धारा–4 न्याय तक पहुँच– पीड़ित व्यक्ति धैर्य और सम्मान के साथ व्यवहत मानवाधिकार, पुलिस और आतंकवादकिये जायेंगे। वे न्यायतंत्र तक पहुँच के हकदार हैं और राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार हानि से उन्हें प्रतिकार दिलाया जायेगा।

धारा–5 न्यायिक और प्रशासनिक तंत्र द्वारा पीड़ित का प्रतिकार तुरंत, न्यायपूर्वक और कम खर्चे पर किया जायेगा। पीड़ित को तुरंत प्रतिकार के अधिकार की जानकारी दी जायेगी।

धारा–6 न्यायिक और प्रशासनिक उत्तरदायित्व में पीड़ित के लाभ के लिये इस प्रकार सुविधा प्रदान की जायेगी।

(1) लाभ के समय व उसके मामले की प्रगति के बारे में सूचना दी जायेगी।

(2) प्रक्रिया को अपराधी के प्रति पूर्वाग्रह के बिना और संबंधित राष्ट्रीय आपराधिक न्याय प्रणाली के अनुसार चलाया जायेगा।

(3) पीड़ित को सहायता कानूनी प्रक्रिया द्वारा दी जाएगी।

(4) पीड़ित के व्यय को न्यूनतम करने, अंतरंगता की रक्षा करने, सुरक्षा को सुनिश्चत करने वा उसके परिवार व उसके गवाहों को सहायता देने के कदम उठाये जायेंगे।

(5) मामलों को निपटाने में अनावश्यक देरी को रोका जायेगा।

धारा 8– प्रत्यर्पण– अपराधी या तीसरे पक्ष के द्वारा प्रत्यर्पण पीड़ित को या उसके परिवार को या आश्रितों को दिलाया जायेगा। यह प्रत्यर्पण संपत्ति की वापसी, क्षति के भुगतान और व्यय के पुनर्भरण के रूप में होगा।

धारा 9– सरकार इस बात का मूल्यांकन करेगी कि प्रत्यर्पण को लागू करने संबंधी कानून व प्रक्रिया के द्वारा इसे दांडित विकल्प के रूप में अन्य आपराधिक दंडादेशों के अलावा दिया जायेगा।

धारा 11– जहाँ लोकसेवक द्वारा या शासकीय अथवा अ (शासकीय पद पर कार्य कर रहे कर्मी द्वारा कानून का उल्लंघन किया हो, वहाँ प्रत्यर्पण राज्य द्वारा पीड़ित को दिया जायेगा। यदि कोई सरकार जिसके अधीन अधिकारी द्वारा पीड़ित किया गया हो, सत्ता में न रहे हो तो उसकी उत्तराधिकारी सरकार द्वारा प्रत्यर्पण किया जायेगा।

धारा 12– क्षतिपूर्ति– जब अपराधी या किसी तीसरे स्त्रोत द्वारा राशि पूरी तरह पीड़ित को नहीं दी गई हो, वहाँ राज्य द्वारा आर्थिक क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था की जायेगी–

(क) पीड़ित को, यदि गंभीर अपराध के द्वारा उसे शारीरिक क्षति पहुँची हो या शारीरिक अथवा मानिसिक स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा हो।

(ख) परिवार को, यदि पीड़ित व्यक्ति मर गया हो या शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो।

धारा 13– पीड़ित को क्षतिपूर्ति देने के लिये राष्ट्रीय कोश को स्थापित व वर्द्धित किया जायेगा।

धारा 14– सहायता– पीड़ित व्यक्ति को सरकारी, स्वैच्छिक व सामुदयिक साधनों द्वारा आर्थिक, चिकित्सीय, मनौवैज्ञानिक व सामाजिक सहायता दी जायेगी।

धारा 15– पीड़ित को स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता की सूचना दी जायेगी और पीड़ित की पहुँच संभव कराई जायेगी।

धारा 16– पीड़ित व्यक्ति की आवश्यकता व सहायता के तरीकों के बारे में पुलिस, न्याय, स्वास्थ्य व सामाजिक सेवाओं के कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

पुलिस द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन को रोकने हेतु एक मार्गदर्शिका केद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनवरी 1996 में सभी राज्यों को भेजी गई है। इसमें पैरा संख्या 13 में गवाहों के अधिकार के रूप में धारा 160 (1) दंडप्रक्रिया संहिता का हवाला दिया गया है। इस धारा के उल्लंघन को मानवाधिकारों के उल्लंघन की श्रेणी में माना गया है। पुलिस के उच्चाधिकारियों को पैरा संख्या–16 के अनुसार इन निर्देशों के पालन करने के लिए उत्तरदायी माना गया है। केन्द्रीय गृह मत्रालय के पत्र 13026 दिनांक 5–10–93 के अनुसार सभी राज्यों में एक मानवाधिकार प्रकोष्ठ स्थापित करने का निर्देश दिया गया है और इस प्रकोष्ठ को मानवाधिकर उल्लंघन के आरोपों की जांच व प्रगति का मूल्यांकन का कार्य सौंपने का निर्देश है। यह प्रकोष्ठ हर महीने एक मासिक प्रगति रिपोर्ट केन्द्रीय गृह मन्त्रालय कार्यवाही का उल्लेख होगा। इस सब प्रगति से यह जाहिर है कि पुलिस संगठनों की समाज के सभी वर्गों के मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिये, क्योंकि उच्च स्तर पर ऐसे उल्लंघन हेतु कड़ी कार्यवाही की जाने की योजना बनाई गई है।

निष्कर्ष–

भारत आज आतंकवाद एवं उग्रवाद से लड़ते हुए मानव अधिकारों की रक्षा की भयावह चुनौती का सामना कर रहा है। निर्दोष, निहत्थे एवं अरक्षित लोगों को निशाना बना कर जारी आतंकवाद के भयावह परिदृष्य में मानव अधिकारों की रक्षा का काम और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। एक शांत समाज न्याय एवं राज्य के उत्तरदायित्व के खंभों पर टिका होता है। आतंकवाद जैसे विवादित मुद्दे से निपटते समय न्याय की चिंता अत्यिधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। आंतकवाद से जुड़े अधिकांश त्रासदियों में ज्यादातर आम लोगों के अधिकारों का हनन होता है। आतंकवादियों एवं नक्सलवादियों की गतिविधियों में बढ़ोतरी से सुरक्षा बलों की भूमिका और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। साथ ही उन्हें घरेलू अशांति को रोकने, महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा जब कभी जरूरत हो कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए बुलाया जाने लगा है। आयोग का यह दृढ़ मत है कि मानव अधिकारों का समुचित पालन करने से शांति एवं सुरक्षा बहाल करने में कोई बाधा नहीं आती है, बल्कि, शांति एवं सुरक्षा कायम रखने तथा आंतकवाद को पराजित करने की किसी भी सार्थक रणनीति में यह एक आवश्यक घटक है। अतः आतंकवाद विरोधी उपायों का उद्देश्य प्रजातंत्र, विधि का शासन एवं मानव अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए जो हमारे समाज के साथ–साथ संविधान का भी मुख्य मूल्य है। आयोग ने समय–समय पर इस बात को दोहराया है कि आतंकवाद एक ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जो लोगों को भय से मुक्त रहने के अधिकार को नष्ट कर देता है। आतंकवाद का उद्देश्यों लोकतंत्र के ढ़ांचे को ही खत्म करना है। आज के समय में यह मानवता के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में उभर कर सामने आया है। आतंकवाद के विरूद्ध वैश्विक लड़ाई में भारत महत्वपूर्ण बना हुआ है। यह लगभग 50 वर्षों से आतंकवाद से लड़ता आया है तथा अपनी सफलता एवं असफलता से इसने काफी कुछ सीखा है। आयोग की कोशिश आतंकवाद से लड़ने में सहयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान करना है। साथ ही, आयोग ने इस बात पर हमेशा बल दिया है कि ऐसा करते समय हमारा दृष्टिकोण मानवीय, तार्किक एवं धर्मनिरपेक्ष हो। अक्सर ऐसा होता है कि पुलिस को किसी जांच आदि के मामले में किसी व्यक्ति को गिरतार करना पड़ता है और सच्चाई

जानने के लिए अभियुक्त से पूछताछ की जाती है। अक्सर इस पुछताछ के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगते रहते है। इन आरोपों में कुछ झूठे भी, तो भी कुछ सच्चे होते है। पुलिस संगठनों को इस बारें में दोतरफा कार्यवाही करनी होगी–एक तरफ तो मीड़िया में झूठी बातें छपने से रोकना और दूसरी तरफ स्वयं के आचरण में सुधार लाना। पहली कार्यवाही कई तरीके से की जा सकती है– मीडिया को स्वयं सही सूचनाएँ देना, गलत बातें छापने पर मानहानि जैसी कार्यवाही।

अभियुक्त के प्रत्येक अधिकार को सम्मान देना होगा। गिरफ्तारी, हिरासत, पूछताछ आदि के स्तर पर बताए गये नियमों का पालन करने की आदत हर एक पुलिसकर्मी को डालनी होगी। अभियुक्त पर सिर्फ आरोप लगा है और यह जरूरी नही कि आरोप सच हो, इसलिए यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि वह अपराधी है। फिर अगर वह अपराधी है भी तो उसे एसी सजा देना पुलिस का काम नही है। हिरासत में मौत, बलात्कार या मारपीट से पुलिस के खिलाफ आक्रोश एकदम फूटता है। थानों का घेराव, आन्दोलन व नारेबाजी होती है, जो पूरे पुलिस विभाग के लिए शर्मनाक बात है। इससे पुलिस की छवि खराब होती है। अभियुक्त के साथ ज्यादती से पुलिसजनों में एक अत्यचारी अभिवृत्ति बनती है, जो आने वाली पुलिस पीढ़ियों द्वारा देखी जाकर उनके लिए भी मार्गदर्शन बनती जाती है। इसके कारण पुलिस जनता से भी दूर होती है, व जनसहयोग प्राप्त करने में असफल हो जाती है। इन सब बातों को ध्यान में रखतें हुए पुलिस को अभियुक्त के मानव सम्मान की रक्षा करनी होगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. फाड़िया बी0 एल0ः भारतीय प्रशासन, साहित्य भवन पब्लिकेशन, 2002
2. सुबह्मण्यम डा0 एस0ः पुलिस और मानवाधिकार
3. सिंह सी0 बी0ः उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन, हरी लाँ एजेन्सी
4. बेदी किरणः भारतीय पुलिस यूजन बुक्स 2008
5. राम आहूजाः भारतीय समाज, रावत पब्लिकेशन, 2000
6. अरोड़ा एन0डी0 व अवस्थी एस0एस0ः राजनीतिक सिद्धान्त एवं राजनीतिक चिन्तन, हर आनन्द पब्लिकेशन प्रा0 लि0, नई दिल्ली, 2009
7. कुमार डॉ0 सतीश व शर्मा डॉ0 ममता, मानवाधिकारः दिशा एवं दशा, ए0बी0एस0, बुक्स, दिल्ली, 2018
8. चौधरी बासुकी नाथ व कुमार युवराज, सिंह प्रो0 महेन्द्र प्रसाद भारतीय शासन और राजनीति, सिंह, ओरियंट ब्लैक्स्वाँन, 2011
9. सिंह सैनी, डॉ0 राम, 'समकालीन परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकारों के विविध आयाम, भाग–2, गमनदीप पब्लिकेशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2007
10. शर्मा, जी0एल0, 'सामाजिक मुद्दे', रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2015

12. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत सरकार वार्षिक रिपोर्ट 2016–17

Website:

1. www.unohrc.org.in
2. www.nhrc.org.in
3. www.indianpolice.com
4. www.homeminstry.gov.in
5. www.nationalcrimebranchburo.org.in

शोध पत्रिकाएँ एवं समाचार पत्र :–

1. कुरूक्षेत्र
2. योजना
3. वर्ड फोक्स एवं पालिटीकल एवं एकोनोमिकल वीकली पत्रिका
4. राष्ट्रीय संस्करण
5. दैनिक जागरण ,मेरठ और दिल्ली संस्करण
6. अमर उजाला
7. हिन्दुस्तान
8. नवभारत टाइम्स
9. दी हिन्दू
10. दी टाईम्स ऑफ इंडिया